न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 11/2017

अपीलकर्ता	बनाम	उत्तरदातागण
1 महेन्द्राराम पुत्र श्री पेमाराम जाति मेघवाल निवासी दरूड़ा तहसील व जिला बाडमेर।		1 ग्राम पंचायत मारूडी जरिये सरपंच 2 चौखाराम 3 लूणाराम 4 ईशराराम पिसरान पेमाराम जाति मेघवाल निवासी दरूड़ा तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री गणेश कुमार वकील अपीलकर्ता
2 श्री मोहनलाल वकील उत्तरदातागण

आदेश

दिनांक 21.12.2017

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या 02 से 04 के पिता पेमा की खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि मौजा दरूड़ा के खसरा संख्या 239 रकबा 60.11 बीघा, खसरा संख्या 39 रकबा 13.09 बीघा, खसरा संख्या 274 रकबा 0.05 बीघा खसरा संख्या 277 रकबा 05.15 बीघा खसरा संख्या 342/34 रकबा 21.02 बीघा के आये हुए है। अपीलकर्ता व उत्तरदाता संख्या 02 से 04 पेमा की सन्ताने होने से उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है। खेत खसरा संख्या 39 रकबा 13.09 बीघा, खसरा संख्या 274/0.05 बीघा, खसरा संख्या 277 रकबा 05.15 बीघा खसरा संख्या 342/34 रकबा 21.02 बीघा में अपीलकर्ता व उत्तरदातागण के पिता पेमा का स्वर्गवास होने पर फौतगी का नामान्तकरण संख्या 19 दिनांक 30.05.1966 को पेमा के समस्त वारिसान के नाम सम्मिलित करते हुए पारित किया गया, परन्तु एक अन्य खसरा संख्या 239 रकबा 60.11 बीघा भूमि का नामान्तकरण संख्या 06 दिनांक 14.11.1959 को उत्तरदाता संख्या 02 से 04 का नाम सम्मिलित कर दिया परन्तु अपीलकर्ता का नाम सम्मिलित नही किया गया, जबकि अपीलकर्ता स्वर्गीय पेमा का पुत्र होने के नाते प्रथम श्रेणी का विधिक वारिसान है। अपीलाधीन भूमि के 1/4 हिस्से पर अपीलकर्ता का कब्जा काश्त है। लिहाजा नामान्तकरण संख्या 06 दिनांक 14.11.1959 निरस्त कर मूल खसरा संख्या 239 रकबा 60.11 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 537/239 रकबा 30.11 बीघा मौजा दरूड़ा पटवार हल्का मारूड़ी को निरस्त कर उक्त भूमि में उत्तरदातागण के साथ अपीलकर्ता का नाम दर्ज करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जावें। अपीलकर्ता द्वारा अपील के संलग्न एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत किया तथा अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उत्तरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। दिनांक 19.12.2017 को उत्तरदाता 02 से 04 द्वारा उपस्थित होकर लिखित कथन इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपील में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। अपीलकर्ता उनका सगा भाई होने के कारण पेमा की खातेदारी भूमि मूल खसरा संख्या 239 रकबा 60.11 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 537/239 रकबा 30.11 बीघा मौजा दरूड़ा पटवार हल्का मारूड़ी में पारित नामान्तकरण संख्या 06 दिनांक

Scanned by CamScanner

14.11.1959 निरस्त कर अपीलकर्ता का नाम समाहित करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि के 1/4 हिस्सा पर अपीलकर्ता का निरन्तर कब्जा काश्त होने से उक्त नामान्तकरण सख्या 06 दिनाक 14.11.1959 के पारित होने का ज्ञान नही हो सका। हाल ही मे उतरदातागण द्वारा अपीलार्थी के कब्जा काश्त मे हस्तक्षेप करने तथा भूमि खाली करवाने की धमकीया दी, तब पटवारी से सम्पर्क करने पर उसे ज्ञान हुआ कि अपीलाधीन भूमि मे उसका नाम अकित नही है पटवारी से जमाबन्दी की नकल दिनाक 19.05.2017 को प्राप्त हुई, ओर वकील से सम्पर्क कर अपील पेश की।

प्रकट तथ्यो एव पत्रावली के अवलोकनापरान्त ज्ञात होता है कि अपील अपीलकर्ता द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण जायज है लिहाजा अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

वकील अपीलकर्ता द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि पैतृक भूमि मे पेमा के देहावसान पश्चात् हिन्दुउतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसानो के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु 04 खेतों मे अपीलकर्ता का नाम दर्ज किया गया परन्तु अपीलाधीन भूमि मे अपीलकर्ता का नाम दर्ज नही हो पाया, जो दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं उतरदाता सख्या 02 से 04 द्वारा प्रस्तुत जवाब के मद्देनजर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलकर्ता व उतरदाता सख्या 02 से 04 के पिता पेमा के देहान्त होने पर उसकी पैतृक भूमि मे उसके चारो पुत्रो का नाम हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलाधीन भूमि मे नामान्तकरण पारित करते वक्त अपीलार्थी का नाम उसके भाईयो के साथ अंकित नही किया गया, जो अनुचित है। अपील स्वीकार योग्य है।

अत: अपील स्वीकार की जाकर मौजा दरूडा मूल खसरा सख्या 239 रकबा 60.11 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 537/239 रकबा 30.11 बीघा मे नामान्तकरण सख्या 06 दिनाक 14.11.1959 को खारिज किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि मौजा दरूडा मूल खसरा सख्या 239 रकबा 60.11 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 537/239 रकबा 30.11 बीघा भूमि मे उतरदाता संख्या 02 से 04 के साथ अपीलकर्ता का नाम सम्मिलित करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित करे।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाडमेर

आदेश आज दिनाक 21.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाडमेर

Scanned by CamScanner